**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**:: मंत्रालय ::**
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

# //आदेश//

**नवा रायपुर, अटल नगर, 05-05-2026**

**क्रमांक- ESTB-101(2)/174/2025-GAD-4**:: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष-2024 में संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाध्यक्ष) में नियुक्ति के लिए अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलेक्टर (उप जिलाध्यक्ष) के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रूपये 56100-177500) में नियुक्त किया जाकर, उन्हें उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में दर्शाये गये जिले में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:-

| स.क्र. | लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्र. | अभ्यर्थी का नाम एवं पता | चयन का वर्ग | नवीन पदस्थापना |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1 | श्री देवेश प्रसाद साहू, वार्ड नं.-1, गोल्डन चौंक, ग्राम-धनौरा, पोस्ट-हनौदा, दुर्ग-भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.), पिन नं.-491001 | DC_UR-O | डिप्टी कलेक्टर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई |
| 2 | 2 | श्री स्वप्निल वर्मा, हाउस नं.-एलआईजी-2-152, सेक्टर-2, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन नं.-492010 | DC_UR-O | डिप्टी कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर |
| 3 | 3 | श्री यशवंत कुमार देवांगन, हाउस नं.-24/सी, के-पॉकेट, मरौदा सेक्टर, भिलाई, दुर्ग-भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.), पिन नं.-490006 | DC_UR_O | डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर |
| 4 | 4 | श्री पोलेश्वर साहू, केयर ऑफ-श्री बजरंग सिंह वर्मा, सांई विहार कॉलोनी, डगनिया तलाब, गोल चौंक, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन नं.-495115 | DC_OBC_O | डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर |
| 5 | 5 | श्री सुष्मिता टोंड्रे, ग्राम-हेमाबंद, थाना-दाढ़ी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.), पिन नं.-491335 | DC_SC_F_O | डिप्टी कलेक्टर, सरगुजा |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | सुश्री चंचल पैंकरा,<br>जेपी विहार, मंगला चौंक, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.), पिन नं.-495001 | DC_ST_F_O | डिप्टी कलेक्टर, दंतेवाड़ा |
| 7 | 7 | श्री मयंक सिंह मण्डावी,<br>हाउस नं.-61, कटनाईपारा, सीतापुर, सरगुजा, जिला-सरगुजा (छ.ग.), पिन नं.-497111 | DC_ST_O | डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर |

2/ उपरोक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति की शर्तें:-

1. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत उपस्थित होने पर संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2. परिवीक्षा अवधि के दौरान उक्त अधिकारी को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने पर, वे छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा । प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में पुन: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर अधिकारी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा । उक्त अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण नहीं कर पाने अथवा उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी । परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न हो।

5. नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के दौरान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 इत्यादि शासकीय नियमों/निर्देशों से शासित होंगे।

6. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन पत्र/शपथ पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। पुलिस सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवायें स्वमेव समाप्त कर दी जावेगी।

7. यह नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से शारीरिक स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

8. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर यदि आरक्षित वर्ग का दावा सही सिद्ध नहीं होता है तो बिना कोई कारण बतायें समुचित विधिक

कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

9. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे, तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर देय रकम उनसे भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत है, वे उचित माध्यम से अपना तकनीकी त्याग-पत्र/त्याग-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही उपस्थिति देंगे।

11. उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा जिसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

12. उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि गलत पाये जाने पर, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही भी की जा सकेंगी।

13. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का एक बाण्ड (संलग्न प्रारूप अनुसार) शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि उसके द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में, वह परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर व्यय की गई राशि जिसमें वेतन, भत्तें, प्रशिक्षण एवं यात्रा आदि व्यय शामिल होगा, को शासन को वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा ।

14. उक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3,दिनांक 03/05/2023 में उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.)क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

"प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है"।

**संलग्नः-शपथ पत्र एवं बाण्ड का प्रारूप।**

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

Digitally signed by
CLEMENTINA LAKRA
Date: 05-05-2026
13:06:59

(क्लेमेंटिना लकड़ा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.- **ESTB-101(2)/174/2025-GAD-4** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **05-05-2026**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मान. मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,